न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 30 / 2022

अनवान : –

1. गुंजन उम्र 3–1/2 वर्ष पुत्र धर्मवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. रामरतन पुत्र सहजाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. विमला पत्नी रामरतन जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायलान**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 15 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 93/93 की कुल 6.880 हैक्ट भूमि में से 295/2294 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के एवं रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 2.5690 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पैतृक भूमि है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेलो के नाम दर्ज हो गई जबकि वाद भूमि पैतृक होने के कारण सायल का भी उक्त वाद भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पूर्व में मंगलु पुत्र बीझा के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद सुन्दर पुत्री मंगलु के नाम दर्ज हुई व सुन्दर के द्वारा अपनी कृषि भूमि को गैरसायल स0 2 को दान कर दी थी उक्त दोनो खातो की भूमि में सायला का जन्म से हक हिस्सा है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर उक्त भूमि को फरोख्त करने पर आमाद है। अगर गैरसायलान कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी का अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि अप्रार्थीगण उक्त वा[illegible] रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:21:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा [illegible] जेएसएन ए तहसील नोहर के खाता स0 93/93 की कुल 6.88[illegible] हैक्ट भूमि अप्रार्थी [illegible] के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञ विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से में प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की उक्त वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की स्वयं अर्जित भूमि है तथा दोनो अकेले खातेदार काश्तकार है उनके जीवनकाल में सायल व गैरसायल स0 3 ता 6 का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल स0 2 को उक्त वाद भूमि जरिये दानपत्र प्राप्त हुई है जो की स्वयं अर्जित है। अतः सायल गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी आदि का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक है–

प्रथम दृष्टया माामला– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो की वाद को अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो इसका अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा। प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित काश्तकार है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थी का उक्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थी को अपने हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त भूमि में से प्रार्थी को उनका हक हिस्सा दिये बिना रहन, बैय आदि किया जा सकता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक है परन्तु अप्रार्थी 2 द्वारा प्रस्तुत दान पत्र की चित्रप्रति से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 2 के नाम वाद भूमि जरिये दानपत्र दर्ज हुई है। उक्त दानपत्र के खंडन के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित अराजी के काश्तकार है [illegible] पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का भी वाद भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है [illegible] विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहनबय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:21:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ती नुकसानी के रूप में नही कि जा सकती। चुंकी न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए तहसील नोहर के खाता स0 93/93 की कुल 6.8820 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है, उक्त वाद भूमि में से से अप्रार्थी स0 1 प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक की वाद भूमि को न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रहन, बैय अथवा मुन्तकिल करने से निषेद्य रहें तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर उक्त स्थगन लागु नही होगा। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 18/06/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:21:20 IST
Reason: SelfAttested